

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आव./ICDS/18/ 192841-966

जयपुर,दिनांक:  
21-10-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

प्रसंग:- विभाग का आदेश क्रमांक 189412 दिनांक 26.10.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में विलोपित परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस.सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार अति. आवंटन/प्रत्याहरण किया जाता है:-

मांग संख्या-33  
2236- पोषण  
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101- विशेष पोषण कार्यक्रम  
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से  
(02)- एकीकृत बाल विकास योजना (केन्द्रीय सहायता/ राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	प्रत्याहरण/ अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाधिपअ, सरदार शहर-शहर	03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	0.45	0.09	0.54
2	झुझुनू शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	0.25	0.30
			राज्य निधि-अ	0.15	0.75	0.90
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.20	0.60
3	जयपुर शहर-चतुर्थ	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	27.50	0.80	28.30
4	झालावाड शहर	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय	केन्द्रीय सहायता	33.56	1.00	34.56
5	फतेहपुर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	0.38	0.43
			राज्य निधि-अ	0.15	1.12	1.27
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.20	0.60
6	राजगढ-चुरू	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.20	-0.05	0.15
			राज्य निधि-अ	0.60	-0.15	0.45
7	श्रीगंगानगर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.02	0.03
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.06	0.09
			राज्य निधि-ब	0.04	-0.04	0.00
8	भादरा	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.20	-0.15	0.05
			राज्य निधि-अ	0.60	-0.45	0.15
			राज्य निधि-ब	0.10	-0.10	0.00
9	जयपुर शहर-1	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.03	0.02
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.09	0.06
10	जयपुर शहर-11	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.01	0.04
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.03	0.12
			राज्य निधि-ब	0.04	-0.03	0.01
11	जोधपुर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.03	0.02
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.09	0.06
12	उदपुर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.03	0.02
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.09	0.06
13	स.माधोपुर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.04	0.01
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.12	0.03
			राज्य निधि-ब	0.04	-0.04	0.00

1	2	3	4	5	6	7
14	.. भरतपुर शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.05	-0.03	0.02
			राज्य निधि-अ	0.15	-0.09	0.06
			राज्य निधि-ब	0.04	-0.03	0.01
15	.. मकराना शहर	03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	0.04	-0.04	0.00
16	.. डीडवाना शहर	03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	0.04	-0.04	0.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

कमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/192.907-920  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (संबंधित)
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

जयपुर,दि:

21-10-18

वित्तीय सलाहकार